(1)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

18-12-20
08-01-21
22.01.21
05-02-21
19-02-21
05-03-21
19-03-21
09-04-21

22-05-21 CLOSED

वाद संख्या 142/20-21

धारा 107 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

पंचम सिंह वगै० बनाम **फागु सिंह वगै०**

स्थानीय पुलिस थानाः *पीरटॉड़* से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया हैं, के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि

उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर झगड़ा-झंझट, गाली-गलौज हुआ है, जिससे काफी तनाव है

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक ......18........../..12............२०.20........ को कारण-पृच्छा की मांग की जाती हैं कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु ५०००/- रूपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष -

१	पंचम सिंह	उम्र :	48 वर्ष	पिता : स्व. पनु सिंह
२	उमेश प्रसाद सिंह	उम्र :	52 वर्ष	पिता : स्व. कंठी सिंह
३	प्रदीप सिंह	उम्र :	42 वर्ष	पिता : स्व. रामदयाल सिंह
४	संजय सिंह	उम्र :	35 वर्ष	पिता : कामदेव सिंह
५	वरूण सिंह	उम्र :	47 वर्ष	पिता : भुनेश्वर सिंह
६	तरूण सिंह	उम्र :	35 वर्ष	पिता : भुनेश्वर सिंह
७	दीपक कुमार सिंह	उम्र :	35 वर्ष	पिता : देवेन्द्र सिंह
८	मुकेश कुमार सिंह	उम्र :	30 वर्ष	पिता : सुखदेव सिंह

सभी साकिनः धोरचाची, थानाः पीरटॉड़, जिलाः गिरिडीह।

- बनाम -

द्वितीय पक्ष -

१	फागु सिंह	उम्र :	58 वर्ष	पिता : गोविन्द सिंह
२	गुलाब सिंह	उम्र :	35 वर्ष	पिता : फागु सिंह
३	विनोद सिंह	उम्र :	30 वर्ष	पिता : फागु सिंह
४	खिरू सिंह	उम्र :	30 वर्ष	पिता : सेवा सिंह
५	महेन्द्र सिंह	उम्र :	35 वर्ष	पिता : सेवा सिंह
६	शंकर सिंह	उम्र :	30 वर्ष	पिता : सेवा सिंह
७	टुनटुन सिंह	उम्र :	38 वर्ष	पिता : सेवा सिंह
८	सेवा सिंह	उम्र :	58 वर्ष	पिता : गोपाल सिंह
९	चरकु सिंह	उम्र :	35 वर्ष	पिता : जगरनाथी सिंह
१०	रंधीर सिंह	उम्र :	34 वर्ष	पिता : जगरनाथी सिंह
११	नीरज सिंह	उम्र :	20 वर्ष	पिता : महेन्द्र सिंह

सभी साकिनः धोरचाची, थानाः पीरटॉड़, जिलाः गिरिडीह।

लेखापित

24.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Certified Copy Issued 23.3.2021

24.11.2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

Scanned with CamScanner

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 142/2020-21

पंचम सिंह वगै. -बनाम- फागु सिंह वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 107)

क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित। पीरटॉड़ थाना अप्राथमिकी संख्या 36/2020 दिनांक 06.11.2020 द्वारा उभय पक्षों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया।

निर्गत नोटिस के आलोक में कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष उपस्थित रहे। पीरटॉड़ थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों के बीच मौजा घोरचांची, खाता नं. 5, प्लॉट नं. 215, रकबा करीब 18एकड़ भूमि को लेकर विवाद है। उभय पक्ष के सदस्य काफी झगड़ालू एवं दबंग प्रवृति के लोग है।

उभय पक्षों के द्वारा कार्यवाही के दौरान कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया है।

पीरटॉड़ थाना से वर्तमान में उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है।

अतः उभय पक्षों के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रू. के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में कार्यवाही अवधि की अंतिम तिथि है अतएव कालअवधि बाधित होने के कारण प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

24.05.2021

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

24.05.2021

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2021.09.11 12:36:17 +05:30
Location: 192.168.241.8

Scanned with CamScanner